BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 सितम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फैजान पुत्र मकसूद निवासी मौ0 राधा कृष्ण कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा अभियुक्त ईसराइन पुत्र मकसूद, रिहान पुत्र मकसूद, मकसूद पुत्र मौ0 हुसैन निवासी उपरोक्त ने जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28.05.2020 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं–428/20 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.08.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.09.2024 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार जी (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फैजान को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्त ईसराइन, रिहान, मकसूद को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।